कार्यालय आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक एफ 1( )स्था/निकाशि/96/989 दिनांक 18 अगस्त,2007

परिपत्र

शैक्षणिक सत्र 2007–08 में विद्यार्थियों का महाविद्यालयों में प्रवेश कार्य समाप्त हो चुका है। वर्तमान समय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के अध्ययन का उचित समय है। व्याख्यातागणों से अपेक्षा की जाती है कि वे महाविद्यालयों में नियमित रूप से अध्यापन कार्य एवं अन्य गतिविधियों में महाविद्यालय के प्राचार्य का सहयोग कर महाविद्यालय के सर्वांगीण विकास में सहयोग प्रदान करें। प्रायः यह देखने में आया है कि महाविद्यालय में अध्यापन कार्य के समय व्याख्यातागण अवकाश पर चले जाते है जिससे महाविद्यालय के अध्यापन कार्य पर विपरीत प्रभाव पडता है एवं विद्यार्थियों के हितों पर भी कुठाराघात होता है। अतः समस्त प्राचार्यों को निर्देश दिये जाते हैं कि–

यदि कालेजों में पदस्थापित कोई भी व्याख्याता/कार्मिक बिना सक्षम अधिकारी से अवकाश स्वीकृत कराये 07 दिवस से अधिक लगातार अनुपस्थित रहता है तो उसे स्वेच्छा से अनुपस्थित मानते हुए उसके विरूद्ध विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा नियम 86 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे। इस नियम के तहत सम्बन्धित को रजिस्टर्ड नोटिस देकर निम्न कार्यवाही की जा सकती है–

- 86 (1)के अन्तर्गत सेवा में व्यवधान मानते हुए पिछले सेवा–काल को जब्त किया जा सकेगा।
- नियम 86(2)(क) के अन्तर्गत एक कर्मचारी जो स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के बाद अथवा अवकाश वृद्धि को मना कर देने पर अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित रहता है तो वह उस अनुपस्थिति की अवधि के लिए किसी प्रकार का कोई वेतन एवं भत्ते प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा जब तक अवकाश स्वीकृतिकर्ता अधिकारी द्वारा अनुपस्थिति की अवधि को देय अवकाश स्वीकृत कर नियमित नहीं कर दिया जाता है।
- नियम 86 (2)(ख) अवकाश की समाप्ति पर, अपने पद के कर्तव्यों से स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थिति, एक राज्य कर्मचारी को अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए दोषी (लायबिल) बना देती है।
- नियम 86(3) नियम 86 (1) तथा (2) में कुछ भी उल्लेख होने पर भी एक अनुशासनिक प्राधिकारी एक ऐसे राज्य कर्मचारी के विरूद्ध वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील नियमों के अनुसार विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर सकता है जो अपने पद से एक माह से अधिक समय से स्वेच्छा से अनुपस्थित हो। ऐसा आरोप किसी कर्मचारी के विरूद्ध सिद्ध हो जावे तो उसे अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा सेवा से निष्कासित (रिमूव्ड) कर दिया जावे।

यदि कोई कर्मचारी चिकित्सा अवकाश का उपभोग करता है तो उसके द्वारा अवकाश आवेदन पत्र के साथ रोग प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए एवं चिकित्सा अवकाश के उपभोग पश्चात् अपने कर्तव्य पर उपस्थित होने के समय कार्मिक को आरोग्य प्रमाण पर प्रस्तुत करना चाहिए। यदि व्याख्यातागण/कार्मिक द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो उसके विरूद्ध भी नियम 86 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे। किसी भी व्याख्याता/कार्मिक द्वारा 14 दिन से अधिक का चिकित्सा अवकाश आवेदित किये जाने पर संबंधित कार्मिक को नियमानुसार मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर मेडिकल बोर्ड की अनुशंषा पर ही अवकाश स्वीकृत किया जावे।

यदि कोई व्याख्याता/कार्मिक 30 दिवस से अधिक अवधि के किसी भी प्रकार के अवकाश हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है तो ऐसे किसी भी प्रकार के आवेदित अवकाश को प्राचार्य अपने स्तर से स्वीकृत नहीं करेगें। ऐसे अवकाश को स्वीकृत करने हेतु प्रकरण प्राचार्य द्वारा पूर्ण दस्तावेजों एवं अपनी टिप्पणी के साथ आयुक्तालय को प्रेषित किया जावेगा। 30 दिवस

से अधिक अवधि के अवकाश आयुक्तालय के अनुमोदन के पश्चात् ही संबंधित प्राचार्य द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।

वर्तमान में बिना सक्षम अधिकारी से अवकाश स्वीकृत कराये जो भी व्याख्याता/कार्मिक अनुपस्थित चल रहे है एसे समस्त लम्बित प्रकरणों की सूचना निम्न प्रपत्र में दिनांक 10–09–07 तक आयुक्तालय को आवश्यक रूप से उनके विरूद्ध की गई कार्यवाही प्रस्तावित कार्यवाही सहित भिजवायें:–

क.सं.	नाम	पद	अनुपस्थित अवधि कब से कब तक	प्रकरण प्रथम बार आयुक्तालय में कब भेजा गया	आयुक्तालय द्वारा दिये गये निर्देश एवं उनकी पालना का विवरण	वि.वि.
1	2	3	4	5	6	7

यदि इन निर्देशों की अवहेलना की जाती है तो संबंधित प्राचार्य को जिम्मेदार मानते हुए उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

उपरोक्त निर्देश टी.आर.एफ. के प्रकरणों पर भी लागू होंगे। इसका तात्पर्य यह है कि स्वीकृत अवकाश अवधि समाप्त हो जाने पर जब तक उनका अवकाश सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाता है तब तक ऐसे कार्मिकों को वेतन भुगतान नहीं किया जायेगा। टीआरएफ के संबंध में आयुक्तालय के पत्र कमांक एफ1(187)स्था/निकाशि/98 दिनांक 11जून,2007 के द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना कडाई से सुनिश्चित की जावें ।

साथ ही यह भी देखा गया है कि व्याख्याता/कार्मिक राजपत्रित अवकाश/आकस्मिक अवकाश/स्वयं के अर्जित अवकाश में बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के मुख्यावास से बाहर चले जाते है जो कि एक कार्मिक की आचार संहिता के विरूद्ध है । प्राचार्य का यह दायित्व है कि उनके अधिनस्थ कार्यरत कोई भी व्याख्याता/कार्मिक सक्षम अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोडे । भविष्य में ऐसा प्रकरण देखने में आने पर संबंधित प्राचार्य/व्याख्याता/कार्मिक के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ।

उक्त निर्देशों से आपके महाविद्यालय में कार्यरत सभी व्याख्याताओं/कार्मिकों को लिखित में अवगत करवायें व पालना हेतु भी पाबन्द करें । परिपत्र की पावती दिनांक 31–5–09–07 तक आवश्यक रूप से भिजवायें।

(पवन कुमार गोयल)
आयुक्त

कमांक एफ.1( )स्था/निकाशि/96/789 दिनांक 18 अगस्त,2007

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– निजी सचिव, मा. शिक्षा मंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
2– प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
3– समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय/राजकीय कन्या महाविद्यालय/राजकीय विधि महाविद्यालय, राजस्थान ।
4– समस्त संयुक्त निदेशक, आयुक्तालय ।
5– मुख्य लेखाधिकारी/उप विधि परामर्शी, आयुक्तालय ।
6– सहायक निदेशक, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर
7– रक्षित पत्रावली ।

(पवन कुमार गोयल)
आयुक्त